

भारत का राजपत्र
'The Gazette of India'

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 18]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 11, 1972/पीब 21, 1893

No. 18]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 11, 1972/PAUSA 21, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Office of the Controller of Capital Issues)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 11th January, 1972.

S.O. 26(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. S.O. 5181, dated the 16th November, 1971, published at pages 3131-3132 of the Gazette of India Extraordinary Part II—Section 3—Sub-section (ii) dated the 18th November, 1971, relating to the Capital Issues (Application for Consent) (Amendment) Rules, 1971, for "Capital Issues (Application for Consent) Rules, 1954", read "Capital Issues (Application for Consent) Rules, 1966".

[No. F. 2(15)-CCI/71.]

P. D. KESBEKAR,
Controller of Capital Issues.

विस्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(पूँजी निर्गम नियंत्रक का कार्यालय)

शुद्धि-पत्र

नयी दिल्ली, 11 जनवरी, 1972

एस० नो० 26(अ).—पूँजी निर्गम (एस्वीकृति के लिए आवेदन-पत्र) (संशोधन) नियमावली, 1971 से सम्बन्धित दिनांक 19 नवम्बर, 1971 के भारत के राज-पत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड II के पृष्ठ 3131-3132 पर प्रकाशित भारत सरकार के विस्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना का० नो० 5181 दिनांक 16 नवम्बर, 1971 में "पूँजी निर्गम (स्वीकृति के लिए आवेदन-पत्र) नियमावली, 1954," के स्थान पर "पूँजी निर्गम (स्वीकृति के लिए आवेदन-पत्र) नियमावली, 1966" पढ़िए।

[संख्या एक० 2(15) सी० सी० आई०/71]

प्र० व० कसबेकर,
पूँजी निर्गम नियंत्रक।